

स्पीड पोस्ट

पत्रांक:सीपीपीआरआई/आरटीआई/212&216/2015/13(आई)/ 1497

दिनांक:सितम्बर 22, 2015

श्रीमती हेमलता,  
द्वारा बी. के. एस. नेगी,  
यू को बैंक के पीछे,  
दिव्य विहार,  
रायपुर रोड,  
देहारादून-248 001

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांकित 7.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 26.8.15) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने दो आवेदन पत्र दिनांकित 7.8.15 (संस्थान में प्राप्ति 26.8.15) का संदर्भ लें।

इस संबंध में संस्थान के संबन्धित विभाग से प्राप्त सूचना संलग्न की जाती है साथ ही आर. टी. आई. फीस की रसीद स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./212, दी. 13.8.15 व स.सीपीपीआरआई/आर.टी.आई./216, दी. 26.8.15भी भी संलग्न है।

अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो 30 दिन के अंदर विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ.(सुश्री) विमलेश बिष्ट, प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स- 174, सहारनपुर-247 001 से अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

*विमलेश बिष्ट*  
(बी.पी.थपलियाल)  
जन सूचना अधिकारी  
24/9/15  
avL

संलग्न : यथोक्त

1. प्रभारी निदेशक, केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान  
सहारनपुर

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VI

ION

Dated 22-9.2015

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/216/2015/13(आई) दिनांक अगस्त 26, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा हेमलता, देहरादून के सूचना के अधिकार के आवेदन इस विभाग को अग्रसारित किया गया है। इस संबंध में आपके पत्र के क्रम के अनुसार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।



(अनिल कुमार)  
प्रशासनिक अधिकारी

डा. बी.पी.थपलियाल  
वैज्ञानिक ई-2, जन सूचना अधिकारी  
सीपीपीआरआई, सहारनपुर

केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान  
सहारनपुर

Ref.No. CPPRI/P/M/3/9/VI

Dated 12-9.2015

ION

कृपया अपने पत्र संख्या सीपीपीआरआई/आरटीआई/212/2015/13(आई) दिनांक अगस्त 17, 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा हेमलता, देहरादून के सूचना के अधिकार के आवेदन इस विभाग को अग्रसारित किया गया है। इस संबंध में आपके पत्र के क्रम के अनुसार निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।

आवेदन में मांगी गई सूचना, सूचना के अधिकार 2005 के नियम 8(1)(j) के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।



(अनिल कुमार)  
प्रशासनिक अधिकारी

डा. बी.पी.थपलियाल  
वैज्ञानिक ई-2, जन सूचना अधिकारी  
सीपीपीआरआई, सहारनपुर